उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3TAA 435485

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : स्व0 श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट।
2. संस्था का पता : मौहल्ला सरायरफी, धनौरा रोड, कस्बा व तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर, उ0प्र0।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त भारत।
4. प्रारम्भिक राशि : 11000/-रु0
5. संस्था का उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे।

1. ट्रस्ट का मूल उद्देश्य देश के युवा वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के विकास के लिये कार्य करना है।
2. युवाओं को रोजगार, शिक्षा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ानें के के अवसर उपलब्ध कराना है।
3. गरीब प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिये आर्थिक मदद करनी है।
4. युवा अपना कैरियर अच्छी तरह से बना सकें इसके लिये सलाह केन्द्र स्थापित करना व विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना है।
5. बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो, स्कूलों में भारतीय इतिहास पुरुषो को युवा लोग अधिक से अधिक समझ सकें। इस सम्बन्ध में बीच बीच में संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है व पुस्तके प्रकाशित करना।

प्रबन्धक
स्व0 श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
चान्दपुर (बिजनौर)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 435486

6. समय समय पर खेल प्रतियोगिताऐं आयोजित करना है। जिससे नागरिक स्वस्थ रहें। अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढ कर उनकी प्रतिभा का विकास करना।
7. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में सहयोग करना जिससे जनता को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
8. गर्भस्थ महिलाओं के टीकाकरण व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाना है।
9. महिला शिक्षा पर विशेष काम करना है। बालिकाओं को शिक्षित करें। इसके लिये जन जागरण भी करना है और निशुल्क कोचिंग सेन्टर व बालिका विद्यालय भी खोलने हैं।
10. पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिये वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है। हर नागरिक को 5 पेड सालाना लगाना व पालने के लिये तैयार करना है। पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले तत्वों को जनता के बीच जाकर समझाना है। जल संरक्षण के महत्व व गिरते जल भूमि स्तर के खतरे को समझाना है।
11. कृषि क्षेत्र में नवीनतम बीज, टेकनोलोजी व नया फसल चक्र लोग आजमाऐं बढ़िया दुधारु नस्ल के गाय भैंस किसान रखें इस सम्बन्ध में कार्य करना है।
12. सामाजिक कुरितियों जैसे दहेज प्रथा आदि का विरोध, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व भाईचारे को बढ़ाने के लिये समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित करना।
13. युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समय–2 पर नशा मुक्ति अभियान चलाना एवं मेडिकल सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आध्यात्मिक राह में लगाना।
14. समाज में भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्मो को समाज से उखाड़ फैंकना व गरीब निराश्रित असहाय महिलाओं को समाज में आत्म सम्मान दिलाना व उन्हें जीवन यापन करने के लिए आत्म निर्भर बनाने में शैक्षिक व आर्थिक सहयोग प्रदान करना व समाज में जागरुकता लाना। "कन्या जन्म दर बढ़े" इसके लिये काम करना।

प्रबन्धक
स्व० श्री पोखार सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
बवनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

31AA 435487

15. महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर आदि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व स्वावलम्बी बनाना।
16. विधवा पुर्न विवाह के पक्ष में जन मानस को तैयार करना व ऐसे विवाहों में सहयोग करना।
17. समय समय पर गरीब लोगों के लिए निशुल्क मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना व मेडिकल कैम्प लगाकर उनका उपचार व दवाई आदि की सुविधा प्रदान करना।
18. गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक सहयोग करना। विकलांग लोगों की मदद करना। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जनजागरण करना।
19. मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, मदर टरेसा, भीमराव अम्बेडकर, पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, चौ0 चरण सिंह के जीवन चरित्र का लोगों के बीच प्रचार करना।
20. राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय, प्रदेश, सरकारी संस्थाओं तथा समाज के सम्पन्न नागरिकों से सहायता प्राप्त करना, भूमि खरीदना, पट्टे पर लेना, दान लेना, वसीयत पर लेना और उसमें निर्माण करना व उपरोक्त कार्य हेतु धन संग्रह करना।
21. बाल श्रम पर रोक लगे व बाल श्रमिकों के कल्याण के लिये काम करना।
22. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दान, अनुदान, चन्दा, इकट्ठा करना तथा प्राप्त धन को सामाजिक उत्थान में लगाना व धनराशि का पूर्ण लेखा जोखा रखना।
23. मेडिकल कालेज की स्थापना करना व क्षेत्र में लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रबन्धक
स्व0 श्री पोखर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट
बनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

UTTAR PRADESH

31AA 435488

5. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में दिये गये पदाधिकारियों के नाम, पते, पद व व्यवसाय जिनको कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम /पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री पोखर सिंह	मौ0 सरायरफी, धनौरा रोड, कस्बा चान्दपुर जिला बिजनौर।	अध्यक्ष	डाक्टर
2	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री पोखर सिंह	ग्राम चुखेड़ी, पो0 सिकन्दरपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।	उपाध्यक्ष	कृषि
3	श्रीमति विनीता सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह	मौ0 सरायरफी, धनौरा रोड, कस्बा चान्दपुर जिला बिजनौर।	सचिव	डाक्टर
4	हार्दिक तोमर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह	मौ0 सरायरफी, धनौरा रोड, कस्बा चान्दपुर जिला बिजनौर।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5	श्री विशाल चौधरी पुत्र श्री जुगेन्द्रपाल सिंह	बी–15, डेल्टा –1, ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0	सदस्य	व्यापार

हम उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन एक्ट, की धारा 21/1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

दिनांक 29/08/2016

प्रबन्धक
स्व0 श्री पोखर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट
...नपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 435489

नियमावली

1. संस्था का नाम	:	स्व0 श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट।
2. संस्था का पता	:	मौहल्ला सरायरफी, धनौरा रोड, कस्बा व तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर, उ0प्र0।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र	:	समस्त भारत।
4. संस्था का उद्देश्य	:	स्मृति पत्र के अनुसार।

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :– आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य, सामान्य सदस्य

(अ) **आजीवन सदस्य :–**

ट्रस्ट का आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिये 11000/– रुव देय होंगे। व समिति के कार्यभार के अनुसार समय देना अनिवार्य होगा।

(ब) **विशिष्ट सदस्य :–**

विशिष्ट सदस्यता प्राप्त करने के लिये 5000–रु0 देय होंगे व समिति के आवाहन पर समिति की सेवा में तत्पर रहेंगे।

(स) **सामान्य सदस्य :–**

प्रबन्धक
स्व0 श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
धनौरा रोड, चान्दपुर (बिजनौर)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 435490

ट्रस्ट से जुड़ने के लिये सदस्यता शुल्क 2500/–रु0 देय होगा व अपनी सुविधा व समयानुसार समिति के कार्यक्रम में आना होगा।

5. सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. सदस्यता से त्याग पत्र देने एवं प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने पर।
3. ट्रस्ट के किसी अभियोग के कारण हटाये जाने पर।
4. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने पर अथवा दण्डित किये जाने पर।
5. पागल हो जाने पर।
6. ट्रस्ट की सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
7. ट्रस्ट के सदस्यों के विपरीत कार्य करने पर।
8. त्याग–पत्र स्वीकृत होने पर।
9. किसी भी नये सदस्य का चयन करने के लिये अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव इनमें से कोई भी दो एवं आजीवन सदस्यों में से किन्ही 4 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है।
10. किसी भी उपरोक्त ट्रस्ट की परमार्थी आवश्यक्ता पर समिति के खाते से धनराशि निकालने का अधिकार अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष व सचिव इनमें से किसी दो के हस्ताक्षरों द्वारा ही मान्य होगा।
11. किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिये अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष व सचिव में से दो की अनुमति अनिवार्य है।
12. समस्त निर्णयों में परिवर्तन व रद्दीकरण का सम्पूर्ण अधिकार समिति के अध्यक्ष को प्राप्त होगा।
13. समिति के समस्त अधिकार–भविष्य में अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे।

प्रबन्धक
स्व० श्री शेखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
नवनगर ... (बिजनौर)

UTTAR PRADESH

31AA 435491

बैठक :– साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष सभा की बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

<u>ट्रस्ट की साधारण सभा के कर्तव्य :–</u>

- वार्षिक रिर्पोट तैयार करना।
- वार्षिक बजट पास करना।
- प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।
- समिति के द्वारा भागवत कथा, व श्री राम कथा या अन्य परमार्थी कार्यो के आयोजन व गौशाला से सम्बन्धित कार्यो में दान अनुदान, चन्दा एकत्रित करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –**
    - समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
    - संस्था के अभिलेखों की जांच करना व उन पर हस्ताक्षर करना।
    - समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
    - पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
    - किसी भी कार्यवाही का सचांलन करना।
    - ट्रस्ट हेतु दान, अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।

प्रबन्धक
स्व० श्री योहर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
बवनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

31AA 435492

3. **प्रबन्धकारिणी समिति :–**

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण <u>सभा प्रति पांच वर्ष</u> के लिये करेगी जिनमें निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यगण होंगे।

1–	अध्यक्ष	एक
2–	सचिव	एक
3–	उपाध्यक्ष	एक
4–	कोषाध्यक्ष	एक
6–	सदस्य कार्यकारिणी	एक
	योग =	पांच

14. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक तथा कोरम :–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक माह में एक बार आवश्यक होगी। जिसकी सूचना पांच दिन पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी आवश्यक्ता पड़नें पर दो दिन पूर्व सूचना देने पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

(ब) बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

(स) प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा शेष अवधि में लिये उसके बहुमत द्वारा होगी।

प्रबन्धक
स्व० श्री गोहर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट
बदनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z1AA 435493

8– **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार :–**

(अ) वार्षिक आय – व्यय का बजट तैयार करना तथा साधारण सभा की वार्षिक बैठक में पेश करना।

(ब) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपसमितियों का गठन करना।

(स) संस्था के हित में सभी आवश्यक कार्य करना तथा विभाग में सरकारी सहायतार्थ आवेदन करना।

9– **प्रबन्धकारिणी समिति का भंग किया जाना :–**

यदि प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करेगी तो उसे साधारण सभा अपनी विशेष बैठक में स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर सकती है तथा नवीन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन पूर्ण काल के लिये कर सकती है।

10– **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य :–**

(1) <u>अध्यक्ष</u> – अध्यक्ष प्रबंधकारिणी एवं अन्य इकाईयों का सर्वोच्च अधिकारी होता है या सामान्य बैठकों में संस्था का सभापति होगा। प्रबन्धकारिणी समिति में किसी विषय के निर्धारण हेतु समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। सभी बैठकों के लिये दिनांक का अनुमोदन करना एवं स्थापित करना समस्त आय व्यय के लेखों व वाउचरों पर हस्ताक्षर करना भुगतान वाउचरों पर हस्ताक्षर करना। बैठक में किसी के द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। प्रबन्धकारिणी में अनुशासन मण्डल की संस्तुति पर सदस्यों व पदाधिकारियों का मनोनयन करना।

प्रबन्धक
स्व० श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
बधनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AA 435494

(2) उपाध्यक्ष – नये प्रस्तावों एवं भुगतानों के बिलों को छोड़कर अध्यक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करना एवं उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। उपाध्यक्षों की संख्या 5 तक होगी। जिसमें 2 पद चुनाव द्वारा व शेष मनोनयन द्वारा पूर्ण किये जा सकेंगे। जिनके कार्य अध्यक्ष द्वारा पृथक रुप से प्रदान किये जायेंगे। जो उपाध्यक्ष को मान्य होंगे।

(3) सचिव – बैठकों की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देना, संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। सदस्यों के नाम सदस्यता के रजिस्टर में नोट करना, पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुलभ वर्तमान कार्यवाही को नोट करना, बैठकों को बुलाना, बैठकों का संचालन करना, अध्यक्ष के कार्यों में पूर्ण सहयोग करना, संस्था की आर्थिक आय को बढ़ाना तथा 5 हजार तक के भुगतान कराने एवं खर्च कराने का अधिकार होगा तथा अधिक खर्च तथा भुगतान के लिये अनुशासन मण्डल की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संस्था के खातों का संचालन करना।

प्रबन्धक
स्व० श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
बबनपुर, चान्दपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 901328

(4) <u>कोषाध्यक्ष</u> – आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सदस्यों को चन्दे व सहायता की रसीद देना, अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। वर्ष में आय–व्यय तथा बाकी कोष से सम्बन्धित रिपोर्ट देना।

(5) <u>सदस्य</u> – न्यास के उद्देश्यों के अनुसार संस्था के हित में कार्य करना तथा संस्था द्वारा प्रदत्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन एवं संपादित करना। इनकी संख्या 12 तक हो सकेगी जिनमें 6 पद चुनाव द्वारा व शेष मनोयन द्वारा पूर्ण किये जा सकेगे।

11. **नियमावली में संशोधन :–**

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा नियमानुसार संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन तथा परिवर्तन किया जायेगा।

12(अ) **न्यास का कोष एवं लेखा जोखा :–**

संस्था का एकाउन्ट (कोष) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/शैडयूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमति से अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

13. **न्यास द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व :–**

न्यास द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर संयुक्त रुप से होगा।

14. **न्यास के अभिलेख :–**

1. सदस्यता रजिस्टर – ट्रस्ट में एक सदस्यता रजिस्टर होगा और उसी में सभी सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता अंकित होगा।

प्रबन्धक
स्व0 श्री पोखर सिंह मैमोरियल ट्रस्ट
बसनपुर, धामपुर (बिजनौर)

Vineeta Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 901329

2. **कार्यवाही रजिस्टर** – कार्यवाही रजिस्टर में जो संस्था की बैठक होगी अथवा संस्था के बारे में जो भी विचार विमर्श होगा उसका लेखा–जोखा कार्यवाही रजिस्टर में अंकित होगा।
3. **स्टॉक रजिस्टर** – स्टाक रजिस्टर में संस्था के सभी सामानों व आगे गये सामानों का ब्यौरा होगा।
4. **कैश बुक** – कैश बुक में वित्त से सम्बन्धित आय–व्यय का ब्यौरा अंकित होगा।

प्रबन्धक
स्व० श्री [illegible] सिंह [illegible] ट्रस्ट
[illegible], धामपुर (बिजनौर)